न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–42/2018
CIS NO.-PS-254/2018

बृजलाल राउत...वादी

बनाम

बंशी पटेल एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.07.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं 09 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–15 बाबुलाल राउत की मृत्यु दिनांक 21.01.2021 को हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में विधवा पत्नी चम्पा देवी तथा एक पुत्र सतन पटेल तथा पुत्री बिन्दा देवी, बागड देवी, प्रमिला देवी तथा सिन्धा देवी को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि मुदई बहुत दिनों तक बिमार था जिस कारण प्रतिस्थापन आवेदन ससमय दाखिल नही कर सका। प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल होने के कारण यह वाद स्वतः उपशमित हो गया जिसे अपास्त करना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः विलंब को माफ करते हुये उपशमन को अपास्त कर न्यायहित में प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक का नाम प्रतिवादी खाने से कलमजद कर मृतक के स्थान पर उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किया गया है।	

न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–42/2018

CIS NO.-PS-254/2018

बृजलाल राउत...वादी

बनाम

बंशी पटेल एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 23.09.2023	सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–15 बाबुलाल राउत के प्रतिस्थापन हेतु वादी द्वारा उक्त आवेदन दी गयी है। चूँकि वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन काफी विलंब से दाखिल की गयी है। अतः न्यायहित में वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 31.07.2023 मो0–700/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार प्रतिवादी के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 10.11.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	